रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29102021-230814
CG-DL-E-29102021-230814

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4164] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 29, 2021/कार्तिक 7, 1943
No. 4164] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 29, 2021/KARTIKA 7, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 2021

का.आ. 4525(अ).—केंद्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा 'गुजरात राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी' (पैन AAATG3628A), जो गुजरात राज्य सरकार द्वारा गठित एक सोसायटी है, को निम्नलिखित विनिर्दिष्ट उत्पन्न आय के संबंध में उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, नामत:

(क) एनएसीओ (नाको) से प्राप्त अनुदान; और

(ख) उपर्युक्त (क) पर ब्याज आय।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि 'गुजरात राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी' -

(क) कोई भी वाणिज्यिक कार्यकलाप नहीं करेगी;

(ख) कार्यकलाप और विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति, वित्तीय वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहेंगे; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा – (4ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आयकर विवरणी दाखिल करेगी।

3. यह अधिसूचना वित्त वर्ष 2020-21 में, 01-06-2020 से 31-03-2021 की अवधि के लिए लागू की गई मानी जाएगी एवं वित्तीय वर्षों 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 और 2024-2025 में लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 127/2021/फा. सं. 300196/10/2021-आईटीए-I]

सौरभ जैन, अवर सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।